

कार्यालय
आयकर आयुक्त

अलवर

दूरभाष: ०१४४-२७०७१००/०६ :: फैक्स: ०१४४-२७०७१०२/०३

आदेश:

१	निर्धारिती का नाम	:	में ग्रामीण विकास युवा संस्थान
२	पता	:	ग्राम- सैथल, जिला- टीसा
३	स्थाई खाता संख्या	:	AAATG4483H
४	आदेश दिनांक	:	१२.०४.२०११

आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०जी के तहत छूट -

आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०जी के तहत आपको छूट दी जाती है। आपको दाजकर्ता द्वारा दिया गया अनुदान उसके पक्ष में आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ८०जी की छूट के अंतर्गत उक्त सीमा तथा शर्तों के अनुरूप होगा, जो कथित धारा में लिहित है।

यह छूट प्रमाण पत्र दिनांक १२.०४.२०११ से मान्य होगी एवं यह आदेश संस्था के विद्याल-पत्र में लिहित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पालन करने की स्थिति में ही मान्य होगा तथा आपके मामले का आगामी पुनरीक्षण/समीक्षा अविषय में किया जा सकता है।


ह.
(ब्रह्मानन्द वर्मा)
आयकर आयुक्त,
अलवर

क्रमांक: आ.आ./अल./रा.आ.आ.(मुख्या)/८०जी/२०११-२०१२/ 57

दिनांक: १२.०४.२०११

प्रतिलिपी: -

१. श्रीमान् अपर आयकर आयुक्त, भरतपुर रेज. भरतपुर ।
२. श्रीमान् आयकर अधिकारी, चार्ड-टीसा को निर्देश के साथ कि यह सुनिश्चित किया जाए कि समिति ट्रस्ट/संस्था द्वारा नियमित रूप से आयकर विवरणी दाखिल की जा रही है ।
3. संबंधित ट्रस्ट/संस्था/समिति ।


(अनिल कुमार शर्मा)
सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय)
कृते आयकर आयुक्त,
अलवर